संख्या : आ०आ० / फरीद. / तक / 2004–05 / 103 / 3/22

कार्यालय,
आयकर आयुक्त,
फरीदाबाद।

दिनांक : 11–04–2005

आदेश :–

विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–जी के अधीन छूट के नवीनीकरण हेतु–

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–जी के अन्तर्गत शिरडी साई बाबा टैम्पल सोसायटी, साई धाम, तिगांव रोड, फरीदाबाद को आयकर आयुक्त, रोहतक कार्यालय के दिनांक 16–05–2001 के पत्र फा०सं० 228/133-S/2001-02/PRO/1228 के अधीन दिये गये प्रमाण–पत्र को 5 (पांच) वर्ष अर्थात् 01–04–2005 से 31–03–2010 तक की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जाता है। धारा 80–जी के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन न्यास को दिये गए दान के पक्ष में कटौती के लिए पात्र होंगे :–

1. दान दाताओं को जारी की गई रसीदों पर इस आदेश की संख्या और तारीख अंकित होनी चाहिए तथा उस पर रबड़ मोहर स्पष्ट लगी होनी चाहिए कि यह प्रमाण–पत्र केवल 31–03–2010 तक के लिए वैध है।

2. न्यास जिस निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आता है उसके पास प्रतिवर्ष न्यास की आय और व्यय का लेखा और तलपट इत्यादि जमा करवायें।

3. संस्था (संघ) की न्यास विधि [ट्रस्ट डीड / ज्ञापन (मैमोरेण्डम)] में यदि कोई संशोधन किया जाता है तो उसकी सूचना इस कार्यालय को शीघ्र देवें।

4. यदि भविष्य में नवीनीकरण अपेक्षित है तो सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के निर्धारण अधिकारी को आय और व्यय के लेखों की विवरण के साथ आवेदन करना होगा और इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भेजनी होगी।

5 इस प्रमाण–पत्र के जारी किए जाने के फलस्वरूप इस न्यास / ट्रस्ट एवं संस्था को अपने आयकर के निर्धारण में छूट का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। निर्धारण अधिकारी अलग से स्वयं जांच के लिए स्वतंत्र है कि न्यास / ट्रस्ट एवं संस्था आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के अनुसार तथा आयकर अधिनियम की धारा 11, 12, 12क (ख) एवं 13 की शर्तों का अनुपालन करती है या नहीं।

(एस०सी० कपिल)
आयकर आयुक्त, फरीदाबाद

प्रतिलिपि :–

1. शिरडी साई बाबा टैम्पल सोसायटी, साई धाम, तिगांव रोड, फरीदाबाद
2 सहायक आयकर आयुक्त/अपर आयकर आयुक्त, रैंज–1, फरीदाबाद को स्वयं इसका सत्यापन और जाँच करनी चाहिए कि वार्षिक विवरण जो आवेदक प्रस्तुत करेगा वह धारा 80–जी में बताई गई शर्तो और समय–प्रसय पर बोर्ड द्वारा जारी किये गये अनुदेशो को पूरा करता है। समय
3. प्रभार के सभी निर्धारण अधिकारी।
4 उ०प० क्षेत्र, चण्डीगढ़ के सभी आयकर आयुक्त।
5 सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड नई दिल्ली।
6 आयकर निदेशक (ग०सा०प्र० और ज०सं०) नई दिल्ली।

(ए०एन० रावल)
आयकर अधिकारी (मुख्या.) (तकनीकी)
कृते: आयकर आयुक्त, फरीदाबाद